संख्या-43/2015/2028 ई-2/तेरह-2015-216/90

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 14 सितम्बर,2015

विषय:-मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर को अल्कोहल वर्ष 2014-15 में अल्कोहल का देश के बाहर निर्यात करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-15/नौ-2013-14/अ0नि0/692/देश के बाहर, दिनांक 07 अगस्त,2015, पत्र संख्या-जी-16/नौ-2014-15/अ0नि0/714/देश के बाहर, दिनांक 07 अगस्त,2015 तथा पत्र संख्या-जी-20/नौ-2013-14/अ0नि0/692/देश के बाहर, दिनांक 01 सितम्बर,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07 अगस्त,2015 एवं 01 सितम्बर,2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अल्कोहल वर्ष 2014-15 की शेष अवधि में मेसर्स रेडिको खेतान लि0, रामपुर को 4,00,000(चार लाख) ब0ली0 ग्रेन ई0एन0ए0 तथा उक्त इकाई को अल्कोहल वर्ष 2014-15 की शेष अवधि में उसकी मांग के अनुसार 100,00,000(एक सौ लाख) ब0ली0 ई0एन0ए0 देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत इकाई द्वारा उक्त मात्रा के निर्यात के पश्चात् देश के बाहर ग्रेन ई0एन0ए0 के निर्यात की अनुमति हेतु आवेदन किया जाता है, तो तत्समय आसवक की मांग पर देश के बाहर ग्रेन ई0एन0ए0/ई0एन0ए0 के निर्यात की अनुमति पर पुन: तद्नुसार विचार किया जा सकता है। यह निर्यात इकाई की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत ही होगा।

कृपया नियमानुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(राम बहादुर सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in